न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 212/2013 दायरा दिनांक : 20.09.2013

उनवान

1. रमेश आयु 50 साल आत्मज मोतीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
2. केवलचन्द आयु 35 साल आत्मज मोतीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. कालूलाल आयु 31 साल आत्मज कजोड जाति बैरवा निवासी ग्राम दुभारी तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)
2. कौशलया बाई पुत्री मोतीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
3. सुमित्रा बाई पुत्री मोतीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
4. बिन्दू बाई पुत्री मोतीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
5. नरेन्द्र कुमार आत्मज कैलाश जाति धोबी निवासी ग्राम अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0)

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

6. गोमतीबाई बेवा कैलाश जाति धोबी निवासी ग्राम अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0)
7. दौलतराम आत्मज नारायनलाल जाति जाटव निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित– श्री संजय कुमार सक्सैना एवं श्री श्यामसुन्दर शर्मा–2 अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री इन्द्रलाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक :26.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 199/दावा/2011 एवं 68/दावा/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.08.2013 को आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित की है जिसकी नकल के बाबत दिनांक 22.08.2013 को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर नकल दिनांक 22.08.2013 को मिली। अधीनस्थ न्यायालय मे

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

दिनांक 13.08.2013 को पत्रावली पेश हुई अधीनस्थ न्यायालय में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को तथा पक्षकारन को कोई नोटिस जारी नही किये। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट से प्रस्ताव बंटवारा पर कोई ऐतराज नही मांगे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.08.2013 को आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित की है जिसमें कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिक्री का आदेश पारित करते समय बंटवारे के नियमों का कोई ध्यान नही रखा गया । मिटस एवं बाउन्डस के आधार पर बंटवारा नही किया गया तथा प्रत्येक पक्षकार को आवंटित किये गये भाग का एवं उसी अनुपात में नही है जितना कि उसका हिस्सा कृषि जोत में है। पक्षकारान के आराजीयात मे अलग अलग कब्जे को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। अपीलान्ट को वक्त पार्टीशन मौके पर नहीं बुलाया गया। पार्टीशन रिर्पोट के अनुसार पटवारी हल्का के द्वारा प्रत्येक खसरा नम्बर के जो टुकडे किये है। बंटवारे के नियमों के सर्वथा विपरित है। अपीलान्ट निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री का विरोध कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का उचित एवं पूर्ण अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा रेवेन्यू कोर्ट मेन्यअल के नियम 18 से 21 की पालना किया जाना मेन्डेटरी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पक्षकारन को कोई नोटिस ही नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि प्रस्ताव बंटवारा बनाने से पूर्व दोनो पक्षों की उपस्थिति हेतु तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया जाना चाहिये था तथा पक्षकारों की

उपस्थिति में अलग अलग रंग से नक्शों से हिस्सा दर्शाया जाना चाहिये था किन्तु तहसीलदार के द्वारा ऐसा कुछ नही किया गया। इस कानूनी बिन्दू की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अन्तिम डिक्री जारी कर दी इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रारम्भिक डिक्री पारित की उसके अनुसार फाईनल डिक्री नही बनायी गयी है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालया का आदेश एवं फाईनल डिक्री पत्रावली में मौजूद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया व 2017(1) RRT-689 पेश की। अभिभाषक रेस्पाडेंट ने अभिभाषक अपीलांट के तथ्यों का खंडन किया व समर्थन में 2007(1) RRT 370 पेश की।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली में बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारानकी उपस्थिति में बनाया गया। कुछ पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया। जिनकी अनुपस्थिति नहीं मानी जायेगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मुताबिक रिकार्ड व साक्ष्य सबूत लेकर विधिपूर्वक किया जाना पाया

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

जाता है। जिसमे हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. रमेश आयु 50 साल आत्मज मोतीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
2. केवलचन्द आयु 35 साल आत्मज मोतीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)

......अपीलांट

बनाम

1. कालूलाल आयु 31 साल आत्मज कजोड जाति वैरवा निवासी ग्राम दुभारी तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)
2. कौशलया बाई पुत्री मोतीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
3. सुमित्रा बाई पुत्री मोतीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
4. बिन्दू बाई पुत्री मोतीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
5. नरेन्द्र कुमार आत्मज कैलाश जाति धोबी निवासी ग्राम अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0)
6. गोमतीबाई बेवा कैलाश जाति धोबी निवासी ग्राम अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0)
7. दौलतराम आत्मज नारायनलाल जाति जाटव निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. **212/2013** व नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी,मनोहरथाना**
मु.द.नं **199/दावा/2011 एवं 68/दावा/2013** निर्णय एवं डिकी दिनांक – **13.08.2013**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 20 माह 11 सन् 2020

हाजरी **श्री संजय कुमार सक्सैना एवं श्री श्यामसुन्दर शर्मा–2** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री इन्द्रलाल गुप्ता** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.08.2013 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **26** माह **11** सन् **2020** को जारी किया गया ।

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.